

या

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

२३/५/२५

पत्रावली पेश हुई पी०ओ० साहब
राज्य का है। अतः
पत्रावली पूर्णतः दिनांक २९/५/२५
को पेश हों।

पत्रावली पेश हुई वादी व उनके अधिकता
उपरिस्थित नहीं वक्त अदालत वादी व उनके
अधिकता की वार-वार आवाज लगावाई
गई उनकी और से कोई भी उपस्थित
नहीं होने से वादी का पाप अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फंसल सुमार होकर दजे नम्बर
से कम ही बाद तकमिल दारिखल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौगमैर)

